

इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141— 2706577—78 फैंक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- एफ4(170)भण्डार/CT/आईजीपीआरएस/2020-21/**2**76**S**~6 🎵



खुली निविदा प्रपत्र

हेतु आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :-संस्थान में वाहन किराये पर लेने हेतु संस्थान द्वारा पात्र निविदादाताओं से ऑफलाईन तकनीकी और वित्तीय निविदाऐं आमंत्रित क

| No. | Scope of work\Services | Estimated value | Bid security | Bid form fee | Bid form fee Bid upload/ Bid Last D: Sale starting date for bid | Last Date & Time for bid submission | Date & Time for Opening of |
|-----|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| ` | | | | | | date | technical bids |
| | Furpose for Vehicle Rent | 5.00 lacs | 10,000/- | 200/- | 07/12/2020 | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
| | | | | | | 01:00 PM. | 02:00 PM |

खुली निविदा की निविदा प्रपत्र शुल्क 200 / —रूपये संस्थान में नकद जमा करावें तथा बिड़ प्रतिभूति राशि 10,000 / —रूपये निदेशक, इन्द्रिंग गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के पक्ष में तैयार कर भरे हुए निविदा प्रपत्र के साथ संल

किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बिड़ स्वीकार्य नहीं होगी।

अथवा www.sppp.rajasthan.gov.in पर जाकर भी डाउनलोड़ की जा सकती है। जाएगा, साथ ही निविदा प्रपत्र मे विस्तृत विवरण संस्थान की वेबसाईट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov निविदादाताओं द्वारा अपने खुली निविदा प्रपत्र के साथ समस्त दस्तावेजों को सील के साथ आत्म सत्यापन कर संलग्न वि

- निदेशक, डीआईपीआर को निविदा प्रपत्र मय सी.डी. भिजवायी जाकर एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में आर्ब्र्यक प्रकाशन हेतु।
- प्रोग्रामर उक्त निविदा प्रपन्न को संस्थान की वेबसाईट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in तथा www.sppp.rajasthan.gov पर अपलोड़ करावे।
- केंयर टेकर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उक्त निविदा को प्रकाशित करें।



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141— 2706577—78 फैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा वाहन किराये पर लेने हेतु वार्षिक संविदा किये जाने के लिये खुली निविदा आमंत्रित की जाती है

निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्ते

टिप्पणी :--निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाएँ ऑफलाईन प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

- 1. खुल निविदा ऑफलाईन प्रस्तुत की जानी है, तथा साथ ही निविदा परिपन्न में विस्तृत विवरण संस्थान की वेबसाईट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं e-proc portal तथा sppp portal पर जाकर भी डाउनलोड की जा सकती है। निविदा प्रपन्न शुल्क 200 / रूपये संस्थान में नकद जमा करावें तथा बिड़ प्रतिभूति राशि 10,000 / रूपये की डी.डी. निदेशक, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के पक्ष में तैयार कर भरे हुये निविदा प्रपन्न के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बिड स्वीकार्य नहीं होगी।
- 2. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आवश्यक रूप से अलग—अलग प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
- 3. निविदाएँ उन रिजस्टर्ड फर्मी / व्यापारियों द्वारा ही दी जानी चाहिये जो वास्तव में संबंधित व्यवसाय कर रहे हो तथा संबंधित व्यवसाय का अनुभव रखते हो। वाहन वर्ष 2016 के बाद के ही होने चाहिये तथा फर्म / मालिक के नाम से 3 वाहनों की रिजस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना कार्य कराने वाले अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जावेगा।
- 5. यदि निविदाकार ऐसी शर्त आरोपित करता है जो कि निविदा की शर्तों के अतिरिक्त है या उसके विरोध में है तो उसकी किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही माना जावेगा तथा ऐसी संशर्त निविदा अथवा निविदा शर्तों के विपरित निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।
- 6. निविदादाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जावेगा, जो कि निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार किये जाने का प्रमाण स्वरूप माना जावेगा।
- 7. सफल निविदादाता के संबंध में यह समझा जावेगा कि उसने किये जाने वाले कार्य/प्रदान किये जाने वाले सामान संबंधी विस्तृत विवरण एवं शर्तो आदि का



अध्ययन कर लिया है। यदि इसमें कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व संस्थान के प्रभारी अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

- 8. अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिये नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा। निविदा के साथ बिड प्रतिभूति राशि रू. 10,000 / — (अक्षरे दस हजार रूपये) डी.डी. (निदेशक, इंदिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर के पक्ष में) संलग्न करना आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 9. बिड प्रतिभूति राशि को निम्न लिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा:-
 - (1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है।
 - (2) जब निविदादाता विर्निदिष्ट समय के भीतर विहित करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।
 - (3) जब निविदावाता विर्निदिष्ट समय के कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।
 - (4) जब निविदादाता निहित समय के भीतर सप्लाई आदेश / कार्यादेश के अनुसार सप्लाई प्रारम्भ करने / कार्य करने में असफल रहता हो।
- 10. सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर निविदा के साथ संलग्न प्रारूप में 500 /— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध—पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों / कार्यो के लिये निविदाएँ स्वीकार की गई उनके अनुमानित मूल्य में 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। निविदा के समय जमा कराई गई बिड प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति राशि पर संस्थान द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रतिभूति राशि केवल बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक के द्वारा ही स्वीकार की जायेगी।
- 11. कार्य संतोषप्रद होने की दशा में दोनों पक्षो की सहमति से अनुबन्ध अवधि नियमानुसार बढ़ायी जा सकती है।
- 12. विवाद की स्थिति में निदेशक संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
- 13. कार्य सन्तोषजनक न होने की स्थिति में संस्थान को किसी भी समय 7 दिवस का पूर्व नोटिस दिया जाकर निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, परन्तु अनुबन्धित फर्म को अनुबन्ध समाप्त करने के लिये एक माह का पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 14. उपरोक्त शर्तो की पालना संविदाकर्ता फर्म द्वारा की जावेगी। यदि एक शर्त या अनेक शर्तो का उल्लंधन संविदाकर्ता फर्म द्वारा किया जाता है तो संविदा निरस्त की जा कर संस्थान में जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
- 15. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा:—
 - (1) जब संविदा की शर्तो का उल्लंधन किया गया हों
 - (2) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई / कार्य सन्तोषजनक ढ़ग से करने में असफल रहा हो।
- 16. बोली प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।

SV

- 17. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा, जिसकी फोटोप्रति संस्थान द्वारा निविदादाता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।
- 18. संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया (आउट स्टेण्डिंग ड्यूज) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि को संविदा समाप्ति के दो माह उपरान्त प्रतिदाय किया जायेगा।
- 19. संस्थान न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या उस निविदा के किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताये रदद करने का पूर्ण अधिकार संस्थान को होगा।
- 20. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (संस्थान या संविदाकार) द्वारा जयपुर स्थित न्यायालय में पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।
- 21. निविदादाता को निविदा एवं संविदा की शर्तो के किसी भाग के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व संस्थान से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
- 22. कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान केवल संतुष्टिपूर्ण कार्य संपादन के बाद चैक द्वारा ही किया जायेगा।

विशेष शर्ते

- 23. दरों में सभी आनुषांगिक प्रभारों (GST के अतिरिक्त) को शामिल करना चाहिये, क्यों कि उक्त सेवाप्रदाय पर GST नियमानुसार पृथक से देय होगा। फर्म के द्वारा संस्थान अथवा निर्दिष्ट स्थान पर वाहन मंगवाये जाने पर वाहन के किलोमीटर की गणना तथा यात्रा समाप्ति उपरान्त भी उपरोक्तानुसार अंतिम स्थल तक की ही गणना हेतु गैरेज से आने—जाने हेतु फर्म को अधिकतम 15 कि0मी0 स्वीकार्य होगें।
- 24. फर्म द्वारा वाहन के साथ भेजे जाने वाले चालको के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी मय फोटों संस्थान को उपलब्ध करानी होगी तथा वैध ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी देनी होगी।
- 25. वाहन 24 घण्टें में कभी भी मांगा जा सकता हैं। फोन/मोबाईल बन्द होने की स्थिति में वाहन आपूर्ति नहीं करने पर चाहा गया वाहन तत्काल संस्थान द्वारा अन्य ऐजेन्सी से मंगवाकर कार्य सम्पादित कर लिया जावेगा। इस प्रक्रिया में जो भी व्यय होगा, उसका भुगतान अनुबंधित एजेन्सी से वसूल किया जावेगा।
- 26. डीजल, पेट्रोल, ऑयल एवं चालक आदि का व्यय वाहन मालिक को वहन करना होगा वाहन चालक को उपयुक्त वर्दी में भेजना होगा।
- 27. वाहन की सीट पर साफ सुथरा कवर लगा कर ही भेजना होगा। वाहन चालक निर्धारित वर्दी में होना चाहिये।
- 28. संस्थान द्वारा उपयोग किए जाने की अवधि में यदि कोई वाहन खराब हो जाता है तो उसकी मरम्मत कराने व मरम्मत पर होने वाले व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 29. वाहन की कन्डीशन वाहन भेजे जाते समय ठीक होनी चाहिये अगर वाहन रास्ते में खराब हो जाता है और कार्य सम्पादित कराने हेतु अन्य वाहन / वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसका हर्जाना अनुबन्धित ऐजेंसी का होगा। साथ ही जो परेशानी



संस्थान को उठानी पड़ेगी उसके हर्जाना स्वरूप 100 प्रतिशत तक की राशि की कटौती ऐजेन्सी के बिल में से करने हेतु संस्थान को पूर्ण अधिकार होगा।

30. वाहन दुर्घटना होने पर या चालान आदि होने पर वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होगा। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा देय नही होगा।

- 31. बिना कारण बताये संविदा किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार संस्थान को होगा।
- 32. वाहन से संबंधित पंजीयन, रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा बीमा (प्रथम पार्टी) वाहन मालिक के नाम होना आवश्यक है इसकी सत्यता के लिये ऐजेन्सी ही जिम्मेदार होगी।
- 33. फर्म को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन चालक किसी भी प्रकार का नशा न करें।
- 34. वाहन चालक द्वारा अभद्रता व अशिष्टता पूर्ण व्यवहार करने पर संस्थान को शास्ति आरोपित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में निदेशक संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।
- 35. एजेन्सी अपने कार्यालय का पता, फोन नं. एवं मोबाइल नम्बर निविदा भरने के साथ दें।
- 36. जिस अवधि के लिये वाहन किराये पर लिया गया है, इस अवधि की लॉग बुक सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करनी होगी।
- 37. वाहन ड्यूटी पर भेजते समय फुल टैंक करके भेजना होगा तथा अतिरिक्त पेट्रोल / डीजल की आवश्यकता हेतु ड्राइवर के पास पर्याप्त राशि होना आवश्यक है।
- 38. निविदाकार फर्म के पास स्वयं की फर्म/नाम से कम से कम 3 वाहन होना आवश्यक है।
- 39. सप्लाई किये जाने वाले वाहन मॉडल वर्ष 2016 व इसके बाद के होने चाहिये तथा उसका आर.एस.टी. नम्बर होना आवश्यक है।
- 40. फर्म का परिवहन विभाग से ट्रेड रिजस्ट्रेशन का अनुमित पत्र होना आवश्यक है तथा एक्साइज विभाग से GST का रिजस्ट्रेशन होना आवश्यक है तथा दोनों ही रिजस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 41 निविदाकार को गत पाँच वर्षों में कम से कम 3 वर्षों का सरकारी विभागों अथवा स्वायतशाषी संस्थानों में संतोषप्रद कार्य करने का अनुभव होना चाहिये।
- 42 वाहन के ड्यूटी के दौरान लगने वाले पार्किंग चार्जेज, टोल टेक्स, बोर्डर / इन्टरस्टेट टेक्स का भुगतान संस्थान द्वारा निविदाकार द्वारा मूल रसीद देने पर ही दिया जावेगा।
- 43. जयपुर जिले से बाहर की यात्रा पर ही न्यूनतम 250 कि.मी. प्रति दिवस के चार्जेज का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा तथा रात्रि 12 बजे उपरान्त ही रूकने / यात्रा की दशा में नाईट हाल्ट चार्जेज 75 रूपये प्रति दिवस अतिरिक्त भुगतान किया जावेगा।
- 44. पेट्रोल / डीजल की दरों में कमी / बढोतरी की दशा में यथानुपात दरों में संशोधन किया जा सकता है।

SV

- 45. लॉग बुक / ड्यूटी ख़िलप पर प्रारम्भिक कि0मी० एवं अंतिम कि0मी० तथा दिनांक व समय पर दोनों स्थान पर वाहन उपयोगकर्ता से हस्ताक्षर करवायेगा तथा उपयोगकर्ता का स्पष्ट नाम व पर्द अंकित करायेगा।
- 46. निविदादाता द्वारा बिल मे कॉट-छॉट करने एवं फर्जी बिल प्रस्तुत करने पर बिना पूर्व नोटिस दिए अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावेगा।

अतिरिक्त निदेशक

मैनें / हमने बोली में अंकित समस्त शर्ते पढ ली है व मुझे / हमें समस्त शर्ते स्वीकार है। प्रमाण स्वरूप मैनें / हमने बोली की शर्तो एवं संलग्न Annexures/परिशिष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।

उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने पर मैं / हम अपनी सहमति प्रदान करता हूँ / करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Section-C बिड तकनीकी मूल्याकंन प्रक्रिया (Part-A) तकनीकी बिड शीट (न्यूनतम तकनीकी अर्हता हेतु आवश्यक दस्तावेज):—

| क्र.सं. | संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण | प्रति संलग्न करें | |
|---------|--|-----------------------|--------------|
| 7 | राशाना निरुष जाने पाल परतापना पर्रा ।पपर्रा | प्रात सलान कर | पेज नं. (जिस |
| | | | ्रपर सलग्न |
| | | | किया गया हो) |
| 1 | फर्म का नाम एवं रिजस्ट्रेशन नम्बर | सत्यापित प्रति संलग्न | |
| 2 | स्थायी पता/पत्र व्यवहार का पता | सत्यापित प्रति संलग्न | |
| 3 | मोबाईल नं. एवं फैक्स नं. अथवा ईमेल | सत्यापित प्रति संलग्न | |
| 4 | GST रजिस्ट्रेशन एवं GSTIN No. | सत्यापित प्रति संलग्न | |
| 5 | Authorization Letter | सत्यापित प्रति संलग्न | |
| 6 | PAN No. | सत्यापित प्रति संलग्न | |
| 7 | कम से कम गत तीन वर्षों का अनिवार्यतः संतोषजनक | सत्यापित प्रति संलग्न | |
| | अनुभव प्रमाण पत्र | : | |
| 8 | कम से कम गत तीन वर्षों का न्यूनतम लाख का | सत्यापित प्रति संलग्न | |
| | वार्षिक टर्नओवर मय Sealed & Signed CA Audited | · | |
| | Balance Sheet | | |
| 9 | वर्तमान में फर्म/स्वयं के नाम कम से कम 03 वाहनों का | सत्यापित सूची मय | |
| | रजिस्ट्रेशन की सूची | प्रति संलग्न | |
| 10 | गत पांच वर्षों में कही भी Black Listed नहीं किये जाने | सत्यापित घोषणा पत्र | - |
| | संबंधी स्वः घोषणा मय प्रमाण पत्र तथा साथ ही गत तीन | | |
| | वर्षो में संतोषपूर्ण कार्य करने का अनिवार्यतः अनुभव प्रमाण | | ; |
| | पत्र | : | |
| 11 | नवीनतम कर शोधन प्रमाण पत्र/नवीनतम GST जमा कराने | सत्यापित प्रति संलग्न | |
| | की e-challan की प्रति | | |

उपरोक्त दस्तावेजों कें अतिरिक्त निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क भी जमा करवाया जाना (निविदा प्रपत्र में दिशा–निर्देशानुसार) अनिवार्य है।

अतिरिक्त निदेशक

मैनें / हमने बोली में अंकित समस्त शर्ते पढ ली है व मुझे / हमें समस्त शर्ते स्वीकार है। प्रमाण स्वरूप मैनें / हमने बोली की शर्तो एवं संलग्न Annexures/परिशिष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।

उपरोक्त शर्तो पर कार्य करने पर मैं / हम अपनी सहमति प्रदान करता हूँ / करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Bid Data Sheet

| 1. | Introduction Bid Data Sile |
|----|--|
| a. | The Procuring Entity is Director, Indira Gandhi Panchayati Raj & Gramin Vikas |
| ۵. | Sansthan. |
| b. | The expenditure on this subject matter of procurement will be met by budgetary |
| | resources of Indira Gandhi Panchayati Raj & Gramin Vikas Sansthan. |
| c. | Joint Venture will not be allowed. |
| 2 | Bidding Document |
| a. | The price of the Bidding Document is Rupees 200/- |
| b. | For clarification purposes only, the Procuring Entity's address is: |
| | Attention (Name with Designation): Shri Arjun Chaudhary, Additional Director |
| | Complete Address |
| | Ground Floor, IGPRS, JLN Marg, Jaipur |
| | PIN Code :302004, Tel No.0141-2706571 |
| | e-mail:- ad.igprs@gmail.com |
| 3. | Preparation of Bids: |
| a. | The language of the Bid can be Hindi or English or both |
| b. | The bidder shall mandatorily submit the following documents:- |
| ٥. | 1) Bid Form fee (Rs.200/-) |
| | 2) Bid Security (Rs. 10,000/-) |
| | 3) Photocopy of Registration of Firm |
| | 4) Photocopy of PAN |
| | 5) Authorization Letter |
| | 6) Photocopy of GST Registration |
| | 7) Audited & CA Certified Balance Sheet of last 3 Financial year (FY 2017-18, 2018- |
| | 19 & 2019-20) with turnover of Rs 2. O lac or more per annum. |
| | 8) Latest tax clearance certificate/e-challan of GST submission. |
| | 9) Compulsory Experience Certificates along with a self declaration of providing |
| | satisfactory related services in Govt./Semi Govt./Autonomous Institutions/ |
| | Reputed Corporations/Hotels (at least any 3 years during the last 5 years) |
| | Photocopies must be enclosed. |
| | 10) Self attested declaration for not being black listed anywhere in the state/country |
| | for the last 5 years. |
| | 11) Detail of RTO trade licence. |
| | 12) Affidavit on Rs.100/- stamp that the Bidder has no outstanding liabilities against |
| | payment for prescribed minimum wages of manpower. |
| | 13) Attach the certificate of registration of the firm / own owner of the year 2016 |
| | and after 3 vehicles. |
| c. | Alternative Bids are not permitted |
| d. | The prices quoted by the bidder shall be fixed |
| e. | The currency of the Bid shall be Indian Rupees |
| f. | The Bid validity period shall be 90 days |
| | (a) A Bid Security shall be required. |
| | (b) If a Bid Security shall be required, the amount and currency of the Bid Security |
| | shall be Rs.10,000/- only. (DD No. |
| | - 8 |

| 4. | Submission and Opening of Bids: |
|----|--|
| a. | (a) For Bid submission purposes only, the Procuring Entity's address is: Attention: Shri Arjun Chaudhary, Additional Director. Complete Address of Office: Ground Floor, IGPRS, JLN Marg, Jaipur PIN Code: 302004 Telephone number: 0141 – 2706571 (b) where electronic submission of bids is mandatory, the address of the Indira Gandhi Institute of Panchayati Raj and Rural Development is Jaipur |
| b. | The deadline for Bid submission is : Date: 14/12/2020 Time: 01.00 PM |
| c. | The Bid opening shall take place at: Complete Address of Office: Ground Floor, IGPRS, JLN Marg, Jaipur PIN Code: 302004 Telephone number: 0141 – 2706571 Date: 14/12/2020 Time: 02.00 PM |
| 5. | Evaluation, and Comparison of Bids: To be intimated accordingly |
| 6. | Award of Contract: To be intimated accordingly |
| a. | The period within which the contract agreement is to be executed and performance Security is to be submitted is 15 days. |
| b. | Whether Performance Security/Performance Security Declaration shall be required: Yes |
| c. | If the answer to 6 (b) is yes, the amount rate of Performance Security shall be Rs10,000/- |
| 7. | Grievance handling procedure during Procurement Process: |
| a. | (a)The Designation and complete Address of First Appellate Authority is: Special Secretary & Director, PR Department, PR Building, Secretariat, Jaipur (b)The Designation & Complete Address of Second Appellate Authority is: Additional Chief Secretary, RD & PR, SSO Building, Secretariat, Jaipur |



दर निविदा प्रपत्र- 1

| क.सं. | विवरण | जयपुर शहर | के बाहर के लिये |
|-------|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| | | | ते कि.मी. |
| | | ए.सी. | साधारण |
| (अ) | संस्थान में संलग्न शर्ती के अनुसार मय | | Model 2016 & |
| | चालक एवं पैट्रोल व डीज़ल के कार | above | above |
| | किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य | | |
| | (मॉडल वर्ष 2014 के बाद) | | |
| 1 | टाटा इण्डिगो / लोगान | | |
| 2 | टाटा सफारी | | |
| 3 | स्विफ्ट डिजायर | | |
| 4 | क्वालीस / टवेरा | | |
| 5 | इनोवा / जायलो | | |
| 6 | बस (18 सीटर) | | |
| 7 | बस (35 सीटर) | | |
| 8 | बस (45 सीटर) | | |
| 9 | बस (52 सीटर) | | |

शर्ते :--

- 1. उक्त सेवाप्रदाय पर नियमानुसार GST शामिल है।
- 2. टोल टैक्स, पार्किंग चार्जेज (प्राप्ति रेसीद पेश करने पर दिया जायेगा) अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा।
- 3. रात्रि विश्राम 75/- रूपये की दर से दिया जावेगा।
- 4. जयपुर के बाहर न्यूनतम 250 किलोमीटर की शर्त लागू होगी। जयपुर से बाहर एक यात्रा में कुल दिवसो की संख्या में प्रतिदिन 250 कि.मी. यात्रा का भुगतान या उससे अधिक चलने पर वास्तिवक भुगतान किया जावेगा। यात्रा के दौरान किसी दिवस को वाहन 250 कि.मी. से कम चलता है तो भी पूरी यात्रा के दिवसों में प्रतिदिन 250 कि.मी. ओसतन का भुगतान किया जावेगा। उदाहरणार्थ किसी यात्रा में पहले दिन वाहन 350 कि.मी. चलता है दूसरे दिन 100 कि.मी. एवं तीसरे दिन 100 कि.मी. तब भी तीन दिवस का भुगतान तीन दिन में 750 कि.मी. का किया जावेगा।
- 5. फर्म के गैरेज से संस्थान/निर्दिष्ट स्थान तक आने जाने (दोनों तरफ) का अधिकतम कुल 15 कि.मी. स्वीकार्य होगा।

35

निविदादाता के हस्ताक्षर

दर निविदा प्रपत्र – 2 TARIFF FOR LOCAL JAIPUR

| Type of Vehicle | 4Hrs 40KMs | 8Hrs. 100KMs | 12Hrs. 100KMs | Extra KMs | |
|------------------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------|--|
| Indica Non A.C. | | | | | |
| Indica A.C. | | | | | |
| Indigo-non/A/C/ | | | | | |
| Indigo A.C. | | | | | |
| Swift Dezire Non A.C. | | | | | |
| Swift Dezire A.C. | | | | | |
| Logan/Indigo LX TDI Non A.C. | | | | | |
| Logan/Indigo LX TDI A.C. | | | | | |
| Tavera Non A.C. | | | | | |
| Tavera A.C. | | | | | |
| Innova/ Non A.C. | | | | | |
| Innova/ A.C. | | | | | |
| Tata Safari A.C. | | | | | |
| Tata Safari Non A.C. | | | | | |
| Bus 18 Seater Non A.C. | | | | | |
| Bus 18 Seater A.C. | | • | | | |
| Bus 35 Seater Non A.C. | | | | | |
| Bus 35 Seater A.C. | | | | | |
| Bus 45 Seater Non A.C. | | | - | | |
| Bus 45 Seater A.C. | | | | | |
| Bus 52 Seater Non A.C. | | | | | |
| Bus 52 Seater A.C. | | | | | |

<u>नोटः-</u>

1.उक्त सेवाप्रदाय पर नियमानुसार GST शामिल है।

2.गाडी की कि0मी0 की गणना फर्म के गैरेज से होगी तथा आने जाने की अधिकतम कि0मी0 की सीमा 15 कि0मी0 ही मान्य होगी।

35.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील नाम व पता

FORM NO. 1 [See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 Appeal Noof Before the (First/Second Appellate Authority) 1. Particulars of appellant: Name of the appellant: Official address, if any: 2. Name and address of the respondent (s): ii. iii. 3. Number and date of the order appealed against nad name and designation of officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisios of the Act by which the appellant is aggrieved: 4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative: 5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal: 6. Grounds of appeal: (Supported by an affidavit) 7. Prayer: Place

Appellant's Signature

DV.

Date

Declaration by the Bidder under Section 7 and 11 of the Act

Declaration by the Bidder

- 1) We are eligible and possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- 2) We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document.
- 3) We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have our affairs administerde by a court or a judcial officer not have our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4) We do not have and our directors and officers not have been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings:
- 5) We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
- 6) We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

| Date : | : : | Signature of Bidder |
|---------|--------|---------------------|
| | | |
| | : | |
| Place : | | Name ; |
| | | Designation: |
| | | Address: |

35.

(1) Filing an appeal

If any Bidder of prospective Bidder is aggrieved that decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act of the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to the first Appellate Authority as specified in the Bid Data Sheet within a period of ten days from the date of such decision, action, or omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided the after the declaration of a Bidder as successful in terms of section 27 of the Act, the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bid before the opening of the Financial Bid, an appeal related to the matter of Financial Bid may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- II. After hearing the parties, the First Appellate Authority shall dispose of the appeal and pass an order within a period of 30 days of the date filing of the appeal.
- III. If the First Appellate Authority fails to dispose of the appeal within the period 30 days of the date of filing the appeal or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be may file a second appeal to the Second Appellate Authority as specified in the Bid Data Sheet within fifteen The Second Appellate Authority as specified in the Bid Data Sheet within fifteen The Second Appellate Authority, after hearing the parties, shall dispose of the appeal and pass an order within a period of 30 days which shall be final and binding on the paries.

(2) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- I. Determination of need of procurement;
- II. Provisions limiting participation of Bidders in the bidding process;
- III. The decision of whether or not to enter into negotiations;
- IV. Cancellation of a procurement process;
- V. Applicability of the provisions of confidentiality:

(3) From and procedure of filing an appeal

- I. An appeal shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- II. Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proor of payment of fee.
- III. Every appeal may by presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be in person or through registered post or authorized representative.

30

Alppendix B: Dispute Resolution Mechanism

Any dispute arising from the contract shall be resolved amicably, as far as possible. The levels of the Dispute Resolution mechanism shall be as follows:

Amicable resolution between representatives of Parties to the Contract.

If a question, difference of objection arises in connection with or out of the contract agreement or the meaning of operation of any part thereof or the rights, duties or liabilities of either party have not been settled by amicable resolution through mutual discussions, it shall be referred to the appropriate Empowered Dispute Resolution Committee for decision, of the amount of the claim is more than Rs.10,000/-

Dispute Resolution Mechanism will have the following committees at the levels of Head of the

Department and Administrative Secretary of the Department.

 Head of the Department Level Committee to address disputes in contracts of value upto Rupees One Crore.

The Head of the Department Level Committee shall comprise of Head of the Department, Financial Advisor/Chief Accounts Officer of the Department, Concernde Procuring Entity of Additional Head of the Department (Member - Secretary) and Representative of Law Department not below the rank of A.L.R. or equivalent.

2. Administrative Administrative Secretay Level Comittee to address disputes in contracts of value of more than Rupees One Crore.

The Administrative Department Level Committee shall comprise of Administrative Secretary of the Department Representative of Finance Department not below the rank of Deputy Secretary, Law Secretary or his nominee, not below the rank of Joint Legal Remembrancer, Chief Engineer-cum-Addl. Secretary of the concernde department and Chief Engineer concerned (Member-Secretary) [in case of other than a Works Department; Jead of th Department and Additional Head of the Department (Member-Secretary)]

NOTE: In case of Procuring Entity is other than a Department of the State Government the concerned Administrative Department will decide the levels of various members of the two

Dispute Resolution Committee.

III. Arbitration will be applicable in case of disputes arising in contracts of value of more than Rupees 10 crore which remain unresolved through the Dispute Resolution Committee.

IV. All legal proceedings, if necessary arise to institute by any of the parti es shall lhave to be

lodged in courts situated in Rajasthan and not elsewhere.

V. Procedure of reference to the Dispute Resolution Committee

Procedure of reference to the Dispute Resolution Committee.

The supplier shall present his representation to the Procuring Entity along with a fee equal to two percent of the amount of dispute, not exceeding Rupees One lakh within three months of occurrence of the Dispute. The Procuring Entity shall prepare a reply of representation and shall represent its stand before the concerned Dispute Resolution Committee. From the side of the Supplier, the claim case may be presented by himself or through a representative. After hearing both the parties, the Dispute Resolution Committee shall pronounce its decision which shall be final and binding both on the Supplier and the Procuring Entity.

(4) Fee for filing appeal

- a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authorty concerned.

(5) Fee for filing appeal

a) The First Appellate Authority of Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit documents, if any to the respondents and fix date of hearing.

b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,

i. hear all the parties to appeal present before him; and

- ii. peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

d) the order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Note: Grievance handling procedure during Procurement Process:

- a) The Designation and complete Address of First Appellate Authority is: Special Secretary & Director, PR Department, PR Building, Secretariat, Jaipur
- b) The Designation & Complete Address of Second Appellate Authority is: Additional Chief Secretary, RD & PR, SSO Building, Secretariat, Jaipur

W